न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 21/2019(2019/00157)

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र भागीराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
2. दोलतराम पुत्र भागीराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
3. मंगलाराम पुत्र भागीराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।
4. देवीलाल पुत्र भागीराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री योगेश शर्मा **प्रार्थीगण**
राज पैरोकार **अप्रार्थीगण**

आदेश दिनांक : 08/04/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम रासलाना के वर्तमान खाता सं 122/103 के खसरा नम्बर 123/1 की कुल 3.2880 हैक्टेयर व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 34/37 के खसरा नं0 40/2, 102/2, 127/1 की कुल 6.2970 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगणके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम की बजाऐ भागाराम दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत असर पडता है। प्रार्थीगण का आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम भागीराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थीगण के पिता का नाम उपरोक्त जमाबन्दी में भागीराम की बजाऐ भागाराम दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने पिता का नाम भागाराम के स्थान पर अपना सही [illegible] वास्तविक नाम भागीराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता [illegible] भागीराम के स्थान पर भागाराम दर्ज होने से प्रार्थीगण राज्य सरकार एवं केन्द्र सर[illegible] बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण के पिता का नाम भागाराम दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थीगण के रोही मौजा ग्राम रासलाना के वर्तमान खाता सं 122/103 के खसरा नम्बर 123/1 की कुल 3.2880 हैक्टेयर व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 34/37 के खसरा नं0 40/2, 102/2, 127/1 की कुल 6.2970 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता का नाम भागीराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने रोही मौजा ग्राम रासलाना के वर्तमान खाता सं 122/103 के खसरा नम्बर 123/1 की कुल 3.2880 हैक्टेयर व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 34/37 के खसरा नं0 40/2, 102/2, 127/1 की कुल 6.2970 हैक्टेयर में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **"प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागीराम के स्थान पर भागाराम दर्ज हो गया।"** जिसके समर्थन में प्रार्थीगण ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र पेश किये है जिनमें प्रार्थीगण के पिता का नाम भागीराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम रासलाना के वर्तमान खाता सं 122/103 के खसरा नम्बर 123/1 की कुल 3.2880 हैक्टेयर व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 34/37 के खसरा नं0 40/2, 102/2, 127/1 की कुल 6.2970 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता का नाम **"भागाराम के स्थान पर भागीराम"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण ही प्रभावी मानें जायेंगे तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/0[illegible] [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़